अनुदान संख्या 54 – पुलिस
GRANT No. 54–POLICE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*3,30,00*	*3,31,00*	*2,42,48*	*–88,52*
पूरक	*Supplementary*	*1,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*51,24*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	10908,40,00	11343,20,00	11215,43,61	–127,76,39
पूरक	Supplementary	434,80,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				84,21,86
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*17,35,00*	*12,15,81*	*–5,19,19*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*4,99,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1501,95,00	1507,95,00	1364,73,89	–143,21,11
पूरक	Supplementary	6,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				128,67,81

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *6.00 लाख* रु. का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (12776.39 लाख रु.) मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 43480.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 29 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.6.00 lakhs* remained wholly unutilised under two heads.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.12776.39 lakhs) constituted 29 percent of the supplementary grant of Rs.43480.00 lakhs obtained in March, 2005 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष / Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस / Major Head "2055" Police					
मू.	O.	987940.00	1061075.14	1057602.11	–3473.03
पू.	S.	43480.00			
पु.	R.	29655.14			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान / Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	102900.00	64710.50	63829.00	–881.50
पु.	R.	–38189.50			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान / Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
पु.	R.	112.50	112.50	112.50	. .

(I) 6.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.6.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2055".

(II) मुख्य शीर्ष "2055" - "सीमा सुरक्षा बल" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया/नीचे दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2055" - "Border Security Force"- remained wholly/to the extent unutilised under the following heads:-

(का) "सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय"- 295727.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2822.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 298549.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, शस्त्र और गोलाबारूद एवं वाहनों आदि की

(A) "Directorate General of Border Security Force" – the original provision of Rs.295727.00 lakhs was augmented to Rs.298549.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2822.00

खरीद संबंधी मांगपत्र/पूर्ति आदेशों के मूर्तरूप न ले पाने, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा कार्यालय कर बिलों का संशोधन न किए जाने और गृह मंत्रालय के अधिप्राप्ति स्कंध द्वारा आईडब्ल्युईएसएस के एक सेट की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण 13994.32 लाख रु. (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

lakhs. However, there was a saving of Rs.13994.32 lakhs (including supplementary grant)– due to non-materialisation of Indent/ supply orders for purchase of arms and ammunitions and vehicles etc., non-revision of office tax bills by New Delhi Municipal Council and delay in procurement of one set of IWESS by Procurement Wing of Ministry of Home Affairs.

(खा) ''भारत तिब्बत सीमा पुलिस''- 53406.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1805.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 55211.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो सीडीए, जम्मू तथा अन्यों द्वारा व्यय का समायोजन न किए जाने के कारण 101.81 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Indo Tibetan Border Police" – the original provision of Rs.53406.00 lakhs was augmented to Rs.55211.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1805.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.101.81 lakhs – due to non-adjustment of expenditure by CDA, Jammu and Others.

(III) मुख्य शीर्ष ''2055'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(III) Under Major Head "2055"- savings also occurred under the following heads:-

(का) ''शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय अपराध-विज्ञान और न्यायिक-विज्ञान संस्थान'' - 115.70 लाख रु. की बचत (471.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दौरा कार्यक्रमों, कंप्यूटरों, मशीनरी और उपस्कर की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Education and Training-National Institute of Criminology and Forensic Science" - saving of Rs.115.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.471.00 lakhs) was due to non - finalisation of tour programmes, purchase of computers, machinery and equipment.

(खा) ''अनुसंधान - पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो''- 118.49 लाख रु. की बचत (481.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, विदेशी दौरों और प्रशिक्षण प्रभाग के उर्ध्वाधर पारस्परिक प्रभाव पाठ्यक्रमों के मूर्त रूप न ले पाने के कारण हुई।

(B) "Research-Bureau of Police Research and Development" – saving of Rs.118.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.481.00 lakhs) was due to non - filling up of vacant posts, non-materialisation of foreign tours and vertical Interactive courses of Training Division.

(गा) ''आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता''-

(C) "Criminal Investigation and Vigilance"-

(क) ''केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला''- 234.09 लाख रु. की बचत (1985.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कैमरा, एनेलिटिकल बैलेंस और अन्य उपस्करों की अधिप्राप्ति के मूर्तरूप न लेने, अधिकारियों द्वारा कम दौरे किए जाने, विदेशी स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने और प्रशिक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण हुई।

(a) "Central Forensic Science Laboratory"- saving of Rs.234.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1985.00 lakhs) was due to non - filling up of vacant posts, non - materialisation of procurement of camera, analytical balance and other equipments, less tours undertaken by the officers, non - finalisation of foreign schemes and delay in finalisation of training programme.

(ख) "आपत्तिजनक दस्तावेजों का सरकारी परीक्षक"- 114.17 लाख रु. की बचत (631.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायत संबंधी कटौती को देखते हुए दौरा कार्यक्रम को अंतिम रूप न दिए जाने और रमन स्पैक्ट्रोमीटर, माड ्युलर ट्राइनोकुलर स्टीरियोमाइक्रोस्कोप आदि जैसी मदों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Government Examiner of Questioned Documents"-saving of Rs.114.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.631.00 lakhs) was due to non-finalisation of tour programme in view of economy cut and non-procurement of items like Raman Spectrometer, Modular Trinocular, Stereomicroscope etc.

(घा) "असम राइफल्स - स्थापना और प्रशासन"- 812.15 लाख रु. की बचत (83941.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डब्ल्युएमपी/टेट्रा पैक मिल्क के बिलों, विभिन्न सेना प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रंगरूटें और असम राइफल्स के कार्मिकों के अग्रिम वेतन के लिए रक्षा लेखा महानियंत्रक से वाउचरों, एयर लिफ्टिंग और एयर ड्रापिंग वाउचर की समय पर और वित्त वर्ष के दौरान आपूर्ति किए गए भंडारों के बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(D) "Assam Rifles - Establishment and Administration" - saving of Rs.812.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.83941.00 lakhs) was due to non-receipt of bills for WMP/ Tetra Pack Milk, vouchers from the Controller General of Defence Accounts for advance pay of recruits and Assam Rifles personnel undergoing training at various Army Training Centres, air lifting and air dropping voucher in time and bills for the stores supplied during the financial year.

(ङ) "विशेष पुलिस - राष्ट्रीय तकनीकी सुविधा संगठन"- 100.23 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(E) "Special Police-National Technical Facilities Organisation" - saving of Rs.100.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the State Governments.

(चा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गारद - स्थापना"- 815.87 लाख रु. की बचत (12525.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एसएमजी एमपी-5 उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने, मांगपत्र/पूर्ति आदेशों के मूर्तरूप न लेने और नाइट स्कोप, स्पाट स्कोप आदि सहित बहुप्रयोजनीय कैमरों जैसी मदों की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(F) "National Security Guard-Establishment"- saving of Rs.815.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12525.00 lakhs) was due to non-procurement of SMG MP-5 equipments, non-materialisation of Indent/Supply Orders and non-finalisation of procurement of items like multipurpose cameras with night scope, spot scope etc.

(छा) "विशेष सेवा ब्यूरो - स्थापना"- 498.44 लाख रु. की बचत (35815.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टायर/ट्यूबों की खरीद के मूर्तरूप न लेने, भवन मालिकों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बिल प्रस्तुत न किए जाने, कोडीय औपचारिकताओं के मूर्तरूप न लेने, आपूर्तिकर्ता द्वारा पूर्ति आदेश को मूर्तरूप न दिए जाने, कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति और यात्रा भत्ता के दावों के कम प्राप्त होने और स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण कार्यकलापों को बंद कर दिए जाने के कारण हुई।

(G) "Special Service Bureau- Establishment" - saving of Rs.498.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.35815.00 lakhs) was due to non-materialisation of purchase of tyre/tubes, non-submission of bill by the building owerns by the suppliers, non-materialisation of codal formalities, non-materialisation of supply order by the supplier, less medical reimbursement and T.A. claims received from staff and closure of training activities of volunteers.

(जा) "अन्य व्यय - भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य"- 731.87 लाख रु. की बचत (3826.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा सुरक्षा बल द्वारा जोधपुर विद्युत वितरण निगम के साथ किए जाने वाले करार को अंतिम रूप न दिए जाने, पेट्रोल, तेल और स्नेहकों के लिए भारतीय तेल निगम से और डीजी सेटों के अनुरक्षण के लिए उनके डीलरों से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(H) "Other Expenditure-Indo-Pak Border Works" – saving of Rs.731.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3826.00 lakhs) was due to non-finalisation of agreement with Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Limited by BSF and non-receipt of bills from Indian Oil Corporation for POL and dealers of DG sets for their maintanance.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेत्तर अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3601" - "Non Plan Grants" - savings occurred under the following heads:-

(का) "पुलिस - पुलिस बल का आधुनिकीकरण - राज्य पुलिस संगठनों का सुदृढ़ीकरण"- 20000.00 लाख रु. की बचत (50000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए उपस्करों संबंधी प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Police - Modernisation of Police Force-Strengthening of State Police Organisations" – saving of Rs.20000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50000.00 lakhs) was due to receipt of less claims for reimbursement for equipments for police modernisation from the State Governments.

(खा) "पुलिस - अन्य अनुदान"-

(B) "Police-Other Grants"-

(क) "बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति"- 479.18 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बटालियनों की तैनाती के कारण राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Reimbursement to States for deployment of Battalions"- saving of Rs.479.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to receipt of less claims for reimbursement from State Government on account of deployment of battalions.

(ख) "भारत रिजर्व बटालियनें"- 112.50 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत रिजर्व बटालियनें खड़ी किए जाने के कारण राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "India Reserve Battalions"-saving of Rs.112.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to receipt of less claims for reimbursement from the State Government on account of raising of India Reserve Battalions.

(ग) "राज्यों को विशेष सहायता"- 18479.32 लाख रु. की बचत (50300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के पर्याप्त दावे प्राप्त न होने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए जम्मू तथा कश्मीर की सरकार के लिए सुरक्षा प्रतिस्थापित उपस्कर में किए गए प्रावधान को पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम में अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(c) "Special Assistance to States"- saving of Rs.18479.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50300.00 lakhs) was due to non- receipt of sufficient claims for reimbursement from the State Governments and transfer of provision made in the Security Replaced Equipment to Police Modernisation Scheme for the Government of Jammu & Kashmir to fight terrorism.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 59.39 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of Rs.59.39 lakhs occurred constituting 21 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "2055"-

(I) Major Head "2055" -

(का) "केंद्रीय रिजर्व पुलिस - स्थापना और प्रशासन"- 2871.26 लाख रु. अधिक व्यय (15800.00 लाख रु. के पूरक अनुदन सहित 248728.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का वेतन के साथ विलयन किए जाने एवं महंगाई भत्ते की अदायगी किए जाने, नई बटालियनें खड़ी किए जाने, तेल मूल्यों में वृद्धि होने आदि के कारण हुआ।

(A) "Central Reserve Police-Establishment and Administration"- excess of Rs.2871.26 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.248728.00 lakhs including supplementary grant of Rs.15800.00 lakhs) was due to merger of dearness allowance with pay and payment of dearness allowance, raising of new battalions, hike in oil price etc.

(खा) "विशेष पुलिस - जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के संबंध में अदा किए गए प्रभार"- 418.00 लाख रु. का अधिक व्यय (25000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(B) "Special Police-Charges paid in respect of Jammu and Kashmir Light Infantry"- excess of Rs.418.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.25000.00 lakhs) was due to receipt of more claims from the State Governments.

(गा) "औद्योगिक सुरक्षा बल - निदेशन और प्रशासन"- 1346.03 लाख रु. का अधिक व्यय (3153.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 100366.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का वेतन के साथ विलयन किए जाने एवं महंगाई भत्ते की अदायगी किए जाने, बटालियनों के संचलन में वृद्धि होने और आयुध कारखाने से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(C) "Industrial Security Force-Direction and Administration"-excess of Rs.1346.03 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.100366.00 lakhs including supplementary grant of Rs.3153.00 lakhs) was due to merger of dearness allowance with pay and payment of dearness allowance, increase in the movement of battalions and receipt of more claims from ordnance factory.

(घा) "बेतार एवं कंप्यूटर अंतर्राज्जीय पुलिस बेतार स्कीम"- 103.81 लाख रु. का अधिक व्यय (3249.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का वेतन के साथ विलयन किए जाने और महंगाई भत्ते की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(D) "Wireless and Computers-Inter-State Police Wireless Scheme"- excess of Rs.103.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3249.00 lakhs) was due to merger of dearness allowance with pay and payment of dearness allowance.

(ङ) "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण - राज्य पुलिस संगठन की वस्तु के रूप में सहायता"- 36000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (30000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुलिस बल का आधुनिकीकरण किए जाने की

(E) "Modernisation of Police Forces-Assistance to State Police Organisation in Kind"- excess of Rs.36000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30000.00 lakhs) was due to

वजह से राज्य पुलिस संगठन की वस्तु के रूप में सहायता करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(चा) ''दिल्ली पुलिस''-

(क) ''निदेशन और प्रशासन''- 1351.03 लाख रु. का अधिक व्यय (15807.09 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 26572.39 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार से अधिक दावे प्राप्त होने, सरकारी भवनों पर सेवा प्रभारों की दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को अधिक अदायगी किए जाने एवं निविदाएं खोलने के लिए विज्ञापन और समाचार पत्रों एवं टीवी कार्यक्रमों के माध्यम से दिए जाने वाले अपराध संबंधी विज्ञापन के अधिक होने के कारण हुआ।

(ख) ''आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता''- 194.05 लाख रु. का अधिक व्यय (530.42 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 12428.32 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदाएं खोलने के लिए विज्ञापन और समाचार पत्रों एवं टीवी कार्यक्रमों के माध्यम से दिए जाने वाले अपराध संबंधी विज्ञापन के अधिक होने और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की देय राशियों को स्वीकृति प्रदान किए जाने के कारण हुआ।

(ग) ''राज्य मुख्यालय पुलिस''- 308.10 लाख रु. का अधिक व्यय (2358.51 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 39110.31 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राइफल फैक्टरी, कोलकाता से 9 मिमी. स्वचालित पिस्तौलों की खरीद किए जाने और पुलिस कार्मिकों से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(घ) ''जिला पुलिस''- 1532.02 लाख रु. का अधिक व्यय (1042.17 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 34726.97 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का वेतन के साथ विलयन किए जाने एवं महंगाई भत्ते की अदायगी किए जाने, पुलिस कार्मिकों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अधिक दावे प्राप्त होने और भारतीय तेल निगम से अधिक आवक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

requirement of additional funds as assistance to State Police Organisation in kind owing to Modernisation of Police Force.

(F) "Delhi Police"-

(a) "Direction and Administration" – excess of Rs.1351.03 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.26572.39 lakhs including supplementary grant of Rs.15807.09 lakhs) was due to receipt of more claims from State Government, more payment of service charges on Government Buildings to Municipal Corporation of Delhi / New Delhi Municipal Council and more advertisement for opening of tenders and crime related advertisement through news papers and T.V programmes.

(b) "Criminal Investigation and Vigilance"- excess of Rs.194.05 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.12428.32 lakhs including supplementary grant of Rs.530.42 lakhs) was due to more advertisement for opening of tenders and crime related advertisement through news papers and T.V programmes and clearance of dues of Airport Authority of India.

(c) "State Headquarters Police"-excess of Rs.308.10 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.39110.31 lakhs including supplementary grant of Rs.2358.51 lakhs) was due to purchase of 9mm auto pistols from Rifle Factory, Kolkata and more claims received from Police personnel.

(d) "District Police"-excess of Rs.1532.02 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.34726.97 lakhs including supplementary grant of Rs.1042.17 lakhs) was due to merger of dearness allowance with pay and payment of dearness allowance, more medical reimbursement claims received from Police personnel and receipt of more inward claims from Indian Oil Corporation.

(II) मुख्य शीर्ष "3602" - "योजनेत्तर अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान - भारत रिजर्व बटालियनें"- 112.50 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पांडिचेरी की संघ राज्य क्षेत्रसरकार द्वारा भारत रिजर्व बटालियनें खड़ी किए जाने के कारण हुआ।

(II) Major Head "3602" – "Non - Plan Grants-Police - Other Grants-India Reserve Battalions" - excess of Rs.112.50 lakhs (against nil provision) was due to raising of India Reserve Battalions by Union Territory Government of Pondicherry.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "7601" *राज्य सरकारों को कर्ज तथा उधार*	Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments*			
मू.	*O.* *1600.00*	*1188.00*	*1187.50*	*–0.50*
पु.	*R.* *–412.00*			

(I) *55.00 लाख* रु. का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.55.00 lakhs* remained wholly unutilised under three heads.

(II) *"योजनेत्तर स्कीमों के लिए कर्ज - पुलिस - अन्य कर्ज - भारत रिजर्व बटालियनें"* के अंतर्गत *412.50 लाख* रु. की बचत (*1600.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) भारत रिजर्व बटालियनें खड़ी करने के लिए राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under *"Loans for Non - Plan Schemes-Police-Other Loans – India Reserve Battalions"*- saving of *Rs.412.50 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.1600.00 lakhs*) was due to receipt of less claims for reimbursement for raising of India Reserve Battalions from the State Governments.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत *51.69 लाख* रु. की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 65 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of *Rs.51.69 lakhs* occurred constituting 65 percent of the sanctioned *appropriation.*

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (14321.11 लाख रु.) मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 600.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.14321.11 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.600.00 lakhs obtained in March, 2005 and constituted 9 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष / Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''4055'' पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय / Major Head "4055" Capital Outlay on Police					
मू.	O.	147195.00			
पू.	S.	600.00	137927.19	136473.89	-1453.30
पु.	R.	–9867.81			
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय / Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas					
मू.	O.	3000.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–3000.00			

(I) 6220.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 6120.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.6220.00 lakhs remained wholly untilised under five heads; of these Rs.6120.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4055''-

(A) Major Head "4055" -

(क) ''अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान''- 120.00 लाख रु. अनुमानों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(a) "Research, Education and Training-National Institute of Criminilogy and Foresnsic Science"- Rs.120.00 lakhs - due to non-finalisation of the estimates.

(ख) ''अन्य व्यय''-

(b) "Other Expenditure"-

(i) ''अन्य सीमा का प्रबंधन''- 2000.00 लाख रु. संयुक्त तटीय गश्त सुदृढ़ीकरण स्कीमों एवं तटीय सुरक्षा स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने और सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन में विलंब होने के कारण थे।

(i) "Management of Other Border" - Rs.2000.00 lakhs - due to non-finalisation of schemes for strengthening joint coastal patrolling and the coastal security scheme and delay in approval of the Cabinet Committee on Security.

(ii) "भारत-म्यांमार सीमा निर्माण कार्य"- 1000.00 लाख रु. क्षेत्र में विवादित सीमा स्तंभों की वजह से निर्माण कार्य शुरू न किए जाने के कारण थे।

(ii) "Indo-Myanmar Border Works"- Rs.1000.00 lakhs - due to non-undertaking of works owing to disputed boundary pillars in the area.

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमें"- 3000.00 लाख रु. निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "4552" - "Other Expenditure – Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" – Rs.3000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation on scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "4055"-savings occurred under the following heads:-

(का) "केंद्रीय रिजर्व पुलिस - रिहायशी भवन"- 570.89 लाख रु. की बचत (14300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Central Reserve Police -Residential Buildings"- saving of Rs.570.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14300.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by the Central Public Works Department.

(खा) "सीमा सुरक्षा बल - भारत तिब्बत सीमा पुलिस"- 481.94 लाख रु. की बचत (5200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्व-निर्मित ढांचा पूर्ति तथा निपटन महानिदेशालय की दर संविदा पर उपलब्ध न होने के कारण हुई।

(B) "Border Security Force – Indo Tibetan Border Police" – saving of Rs.481.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5200.00 lakhs) was due to non-availability of pre-fabricated structure on Directorate General of Supplies and Disposals rate contract.

(गा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गारद - कार्यालय भवन"- 346.33 लाख रु. की बचत (1420.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(C) "National Security Guard-Office Buildings" – saving of Rs.346.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1420.00 lakhs) was due to non-finalisation of works by the Central Public Works Department.

(घा) "अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय पुलिस अकादमी"- 320.01 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्तमान हरित पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता को बनाए रखने के लिए बाहरी प्रशिक्षण परिसर की संभावना के कम होने के कारण हुई।

(D) "Research, Education and Training-National Police Academy" – saving of Rs.320.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs) was due to reduced scope of outdoor training complex keeping the need for conserving the existing green environment.

(ङ) "दिल्ली पुलिस - यातायात संकेत और ब्लिंकर"- 300.01 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वचालित यातायात नियंत्रण प्रणाली के विस्तार को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(E) "Delhi Police-Traffic Signals and Blinkers"- saving of Rs.300.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 600.00 lakhs) was due to non-finalisation for expansion of Automatic Traffic Control System.

(चा) "विशेष सेवा ब्यूरो"-

(क) "कार्यालय भवन"- 122.98 लाख रु. की बचत (2700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "रिहायशी भवन"- 1522.46 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यालय/रिहायशी भवनों के लिए जमीन का अधिग्रहण न किए जाने के कारण हुईं।

(छा) "अन्य व्यय"-

(क) "समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)"- 165.99 लाख रु. की बचत (270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं और स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने और भूमि के अधिग्रहण को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला"- 124.68 लाख रु. की बचत (242.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हैदराबाद में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास लंबित "रासायनिक युद्ध एजेंटों" का निर्माण किए जाने, टाइप- II आवास के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य"- 5940.81 लाख रु. की बचत (44608.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत-बंगलादेश सीमा पर निर्माण करने/बाड़ लगाने संबंधी लक्ष्यों में कमी किए जाने, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करने में विलंब होने, कांटेदार तार की बाड़ और फ्लड लाइट लगाने के लिए स्थान उपलब्ध न होने की वजह से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(घ) "भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य"- 3108.60 लाख रु. की बचत (20155.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधाान की तुलना में) गुजरात सेक्टर में फ्लड

(F) "Special Service Bureau"-

(a) "Office Buildings"- saving of Rs.122.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2700.00 lakhs); and

(b) "Residential Buildings"- saving of Rs.1522.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-acquisition of land for office/residential buildings.

(G) "Other Expenditure"-

(a) Directorate of Coordination (Police-Wireless)" - saving of Rs.165.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.270.00 lakhs) was due to non-finalisation of some projects and schemes and non-materialisation of acquisition of land.

(b) "Central Forensic Science Laboratory"- saving of Rs.124.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.242.00 lakhs) was due to the construction of "Chemical War-Fare Agents" at Hyderabad pending with Central Public Works Department, non - finalisation of proposal for construction of Type-II accommodation.

(c) "Indo - Bangladesh Border Works" - saving of Rs.5940.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.44608.00 lakhs) was due to reduction in targets for construction/ fencing at Indo-Bangladesh Border, delay in approval of the proposal by the Cabinet Committee on security, less utilisation of funds by the Central Public Works Department and Border Roads Oragnisation owing to non-availability of site for barbed wire fencing and flood lighting.

(d) "Indo - Pak Border Works"-saving of Rs.3108.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20155.00 lakhs) was due

लाइटिंग के लिए स्थान उपलब्ध न होने की वजह से निर्माण कार्य शुरू न किए जाने के कारण हुई।

to non-undertaking of works owing to non-availability of site for flood-lighting in Gujarat sector.

6. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "केंद्रीय रिजर्व पुलिस - कार्यालय भवन"- 558.15 लाख रु. का अधिक व्यय (9990.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिलीगुड़ी में समूह केंद्र की स्थापना के लिए भूमि के अधिग्रहण संबंधी अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "असम राइफल्स - रिहायशी भवन"- 3014.87 लाख रु. का अधिक व्यय (9500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अतिरिक्त व्यय किए जाने के कारण हुआ।

(गा) "सीमा सुरक्षा बल - सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" - 1400.44 लाख रु. का अधिक व्यय (600.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 14710.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एग्जीक्यूटिव जेट एयरक्राफ्ट की अधिप्राप्ति के लिए रक्षा मंत्रालय को अदायगियां किए जाने के कारण हुआ।

6. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4055" - under the following heads:-

(A) "Central Reserve Police - Office Buildings"-excess of Rs.558.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9990.00 lakhs) was due to payment for acquisition of land for setting up of Group Centre at Siliguri.

(B) "Assam Rifles-Residential Buildings" – excess of Rs.3014.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional head for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and additional expenditure incurred by the Central Public Works Department.

(C) "Border Security Force-Directorate General of Border Security Force"-excess of Rs.1400.44 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.14710.00 lakhs including supplementary grant of Rs.600.00 lakhs) was due to payments to Ministry of Defence for procurement of Executive Jet Aircraft.